

(C)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2019/00130

उप खण्ड अधिकारी (नियम 26)

अज. अदालत

बडीसादडी (बन्तौड़गढ़)

मुकाम

श्रीलाल

बनाम

रामचन्द्र

किस्म मुकद्दमा

(पत्थरगढी 128)

नं.

4/2019

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.5.19	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>आराजीया</u>..... ग्राम.....<u>आराजीया</u>.....की आ.न. <u>1796, 1797</u> <u>कुल क्षेत्र 2</u> <u>वर्ग</u> की <u>8.18</u> <u>1.92</u> <u>2.16</u> <u>वर्ग</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी